न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या :33 / 2019 GCMS NO 2019 / 00279

दायरा तिथि : 03.09.2019

आदेश तिथि : 26-7-2021

प्रार्थी :–

श्री घीसुलाल पुत्र केसारामजी जाति सीरवी
निवासी बाली तहसील बाली जिला पाली (राज0)

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. मानाराम पुत्र लुम्बारामजी
2. चेलाराम पुत्र लुम्बारामजी
3. पुखराज पुत्र लुम्बारामजी
4. भुराराम पुत्र लुम्बारामजी तमाम जातिगण सीरवी
   निवासीगण बाली तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश

दिनांक : 26-7-2021

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित सहखातेदारी भूमि मौजा बाली तहसील बाली के खसरा नंबर 44 रकबा 2.38 हैक्टर किस्म जाव अव्वल व चाही प्रथम में आवागमन के लिए कोई विकल्प / रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा बाली के खसरा नंबर 45 रकबा 2.38 हैक्टर किस्म चाही प्रथम व जाव अव्वल मे से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित मार्ग नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बाली ने जरिये पत्रांक : राजस्व / 2021 / 1163 दिनांक 12.07.2021 से रेकर्ड व मौका स्थिति की जांच कर रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1.ग्राम बाली तहसील बाली के खसरा नंबर 44 रकबा 2.38 हैक्टर किस्म चाही प्रथम व जाव अव्वल की भूमि प्रार्थी श्री घीसुलाल पुत्र केसाराम जाति सीरवी निवासी बाली तहसील बाली के नाम से संयुक्त सहखातेदारी में दर्ज हैं। उक्त भूमि में आवागमन के लिए राजस्व रेकर्ड अनुसार कोई रास्ता दर्ज नहीं हैं। खातेदारान् की धारित खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं हैं।

2. रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानूसार है :–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	45	2.38.	चा.प्रा.व जाव अव्वल	16 X 4.57 = 73 वर्गमीटर यानि 0.0073 हैक्टर	चेलाराम 1/4, पुखराज 1/4, भुराराम 1/4 मानाराम 1/4 पि. लुम्बाराम जाति सीरवी नि. बाली

3. प्रस्तावित भूमि ग्राम बाली की डी.एल.सी.दर 182664/– रूपये प्रति बीघा है।

4.प्रस्तावित रास्ते की भूमि में कोई भी वृक्ष या निर्माण इत्यादि नहीं हैं, अन्य कोई भी क्षति यथा वृक्ष, पक्का निर्माण कार्य इत्यादि नहीं हैं।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने पर अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 की ओर से अण्डरटेकिंग लेते हुये वकील श्री दुदाराम चौधरी व श्री पोकरलाल चौधरी द्वारा उपस्थिति दी गई। परन्तु बावजुद समय अवसर के कोई एतराज / आपति प्रस्तुत नहीं की गई।

पेज लगातार..........02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या :33/2019 GCMS NO 2019/00279
अनवान घीसुलाल बनाम मानाराम वगैरा
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात जाहिर हैं कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये वर्तमान में कोई रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है, तथा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त कोई विकल्प मौजूद नहीं हैं। अतः तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बाली ने जांच के पश्चात् प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट पत्रांक:राजस्व/2021/1163 दिनांक 12.07.2021 के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की सह खातेदारी भूमि मौजा बाली तहसील बाली के खसरा नंबर 44 रकबा 2.38 हैक्टर किस्म जाव अव्वल व चाही प्रथम में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बाली के खसरा नंबर 45 रकबा 2.38 हैक्टर किस्म चाही प्रथम व जाव अव्वल **मे से कुल 73 वर्गमीटर रास्ता** नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षैत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि डी.एल.सी. दर 182664/- प्रति बीघा की दर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
45	2.38.	16 X 4.57 = 73 वर्गमीटर यानि 0.0073 हैक्टर	114.17	8334X2=16668	चेलाराम 1/4, पुखराज 1/4, भुराराम 1/4 मानाराम 1/4 पि. लुम्बाराम जाति सीरवी नि. बाली

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार **16668/– (अक्षरे सोलह हजार छः सौ अडसठ)** रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर अप्रार्थीगण को अदा की जावेगी। अप्रार्थीगण द्वारा प्रतिकर राशि नहीं लिये जाने की दशा में आवेदक द्वारा नियमानुसार राशि तहसील कार्यालय बाली मे जमा कराई जायेगी। तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक :29.07.2021

पत्रांक : कोर्ट/2021/ 654 – 658

प्रतिलिपि पालनार्थ :–

1. तहसीलदार बाली
2. भू.अ.निरीक्षक बाली
3. पटवारी हल्का बाली
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक घीसुलाल पुत्र केसाराम जी जाति सीरवी नि. बाली को सूचनार्थ प्रेषित हैं।

उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner